न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
44 / 2023 प्रा.पत्र / 2023	14.06.2023	28.03.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन निवासी मेन बाजार लावा तह. मालपुरा जिला टोंक एफबीओ मैसर्स वर्धमान किराणा स्टोर बस स्टैण्ड लावा तह. मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड–304504 मोबाईल नं0 9694824055।

2–मैसर्स वर्धमान किराणा स्टोर बस स्टैण्ड लावा तह.मालपुरा जिला टोंक।

3–श्री सिद्वार्थ जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन निवासी खारी बावड़ी के पास टोरड़ी, टोरड़ी सागर तह. मालपुरा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स सिद्वार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304502।

4–मैसर्स सिद्वार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा लिा टोंक राज0। पिनकोड–304502।

5–श्री अक्षय कुमार जैन पुत्र भागचन्द जैन निवासी जैन मन्दिर के पास सदर बाजार रोंपा जिला भीलवाड़ा प्रोपराटर मैसर्स जैनम ऑयल एण्ड फूड इण्डस्ट्रीज ग्राम पोस्ट पालडी तह. सुवाना जिला भीलवाडा राज0। पिनकोड–311011।

6–मैसर्स जैनम ऑयल एण्ड फूड इण्डस्ट्रीज ग्राम पोस्ट पालडी तह. सुवाना जिला भीलवाड़ा राजं0। पिनकोड 311011

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण की ओर से श्री सिद्वार्थ जैन स्वयं उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 28/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.12.2022 को समय सायं 01:00 पी.एम. पर मैसर्स वर्धमान किराणा स्टोर बस स्टैण्ड लावा तह.मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स वर्धमान किराणा स्टोर बस स्टैण्ड लावा तह. मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, नमकीन, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का विक्रय करते हुए उपस्थित मिला, श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, रिफाइंड सोयाबीन तेल, मसाले के साथ–साथ दुकान में कागज के 2 कार्टूनों में पैक्ड अवस्था में लगभग 42 बोतल पैक प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक **रिफाइंड सोयाबीन तेल(वीर ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान की में लगभग 42 बोतल पैक प्रत्येक 500–500 एम.एल. पैक में **रिफाइंड सोयाबीन तेल (वीर ब्राण्ड)** जिसके बैंच नं0 01 एवं पैंकिग की दिनांक अक्टूबर–2022 थी, कोज यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल(वीर ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 500–500 एम.एल. पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3346 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3346नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन वर्धमान किराणा स्टोर बस स्टैण्ड लावा तह. मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सिद्वार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0एवं मैसर्स सिद्वार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक को पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स जैनम ऑयल एण्ड फूड इण्डस्ट्रीज ग्राम पोस्ट पालडी तह. सुवाना जिला भीलवाडा का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/3979 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एलएस/3430/एक्ट/2022/3471 दिनांक 07.12.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (वीर ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सिद्वार्थ जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल(वीर ब्राण्ड)**का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (वीर ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक